राजस्व वाद संख्या:– 38/2020
अनिल कुमार वगै0 बनाम औमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक:– 08.12.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 38/2020

1. अनिल कुमार पुत्र अमीर सिंह आयु 30 वर्ष।
2. यशवन्त पुत्र अमीर सिंह आयु 23 वर्ष।
3. कैलाशचन्द्र पुत्र श्रीचन्द आयु 51 वर्ष।
4. वेदप्रकाश पुत्र श्रीचन्द आयु 54 वर्ष।

समस्त जाति मेघवाल हाल निवास वार्ड नम्बर 08 फरटीया रोड़ लुहारू तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।

– वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मेऊराम।
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र मेऊराम।
3. मनीराम पुत्र मेऊराम।
4. पतासी स्त्री मेऊराम।

समस्त जाति मेघवाल निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. यूको बैंक शाखा मा0का0 पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटंवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक – 08.12.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि जमीन हाल ख0न0 319 रकबा 12.60 है0 जमीन हाल ख0न0 356 रकबा 0.08 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 12.68 है0 वाके ग्राम लाडुन्दा तहत तहसील सूरजगढ़ का वादीगण एवं प्रतिवादीगण न0 01 लगायत 04 में विधिवत विभाजन किया जाकर वादी न0 1 का 101/1902, वादी न0 2 का 101/1902, वादी न0 3 का 101/951, वादी न0 4 का 101/951 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अलग अलग किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे और बाद विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री जारी की जावें।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कर जमीन वर्णित धारा 11क वाद पत्र को बिना विधिवत विभाजन करवाये विक्रय नहीं करे,

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Scanned with Oken Scanner

राजस्व वाद संख्या:— 38/2020
अनिल कुमार वगै0 बनाम औमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक:— 08.12.2022

वादीगण के हिस्से में जबरदस्ती कब्जा नहीं करें, ने अपने एजेन्ट से करवाये, न पेड़ काटे, न रहन रखे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

(ग) यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(ग) यह कि अन्य सिद्वी जो वादीगण के हक में हो तथा किसी कारणवश भूल से चाही जाने से रह गई हो वह भी धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवायी जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 04 की और से श्री सुरेन्द्र तवॅर एड0 की और से वकातनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074—77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

**बहस सुनी गई।**

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 की और से श्री सुरेन्द्र तवॅर एड0 ने विभाजन प्रस्ताव पर आपति पेश की। आपति पर बहस सुनी गई, मनन् किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर आपति को खारीज किया जाता है। दावे पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

**—:: आदेश::—**

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि ख0न0 319 रकबा 12.60 है0 जमीन हाल ख0न0 356 रकबा 0.08 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 12.68 है0 वाके ग्राम लाडुन्दा तहत तहसील सूरजगढ़ का वादीगण एवं प्रतिवादीगण न0 01 लगायत 04 में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

राजस्व वाद संख्या:– 38/2020
अनिल कुमार वगै0 बनाम औमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक:– 08.12.2022

## मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 38/2020

निर्णय दिनांक :– **08-12-2022**

अनिल कुमार वगै0 **बनाम** औमप्रकाश वगै0

**दावा बाबत बटंवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

वादी की ओर से **श्री सन्दीप मान एड0** व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 की ओर से **श्री सुरेन्द्र तवॅर एड0** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **08.12.2022** को **राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि ख0न0 319 रकबा 12.60 है0 जमीन हाल ख0न0 356 रकबा 0.08 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 12.68 है0 वाके ग्राम लाडुन्दा तहत तहसील सूरजगढ़ का वादीगण एवं प्रतिवादीगण न0 01 लगायत 04 में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner